राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020 का उपस्थापन

I - श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020 का उपस्थापन करेंगे ।

II - श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2019-2020 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे ।

2. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

3. विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 2019 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-7)	"वित्तीय वर्ष 2019-2020 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन, मतदान एवं पारण

(I) श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2018-2019 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगे (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

(II) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

5. विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-6)

"वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगे वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 पर मतदान एवं पारण

अतिरेक मांगे वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

...3

7. <u>विधायी कार्य</u>

<u>विधेयको का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण</u>

1. <u>राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2019</u>

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-1)

'31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।'

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

2. <u>राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019</u>

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-2)

'31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।'

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

... 4

8. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(1) श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(II) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का 73वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

(III) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395(1) के अन्तर्गत राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) श्री परसादी लाल मीणा, उद्योग मंत्री कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखेंगे।

9. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-6) के संबंध में परिनियत संकल्प

'यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-6) को अस्वीकार करता हैं।'

(II) श्री अंजना उदयलाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

... 5

(II) <u>डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019</u>

(I) श्री भँवर सिंह भाटी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(III) <u>हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019</u>

(I) श्री भँवर सिंह भाटी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2019
(2019 का विधेयक संख्या-9)

"राजस्थान राज्य में जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

10. <u>शासकीय संकल्प</u>

श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगी :-

महिलाओं के लिए लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में, एक-तिहाई सीट आरक्षित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुये, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि महिलाओं के लिए लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में, एक-तिहाई सीट आरक्षित करने हेतु अतिशीघ्र महिला आरक्षण बिल पारित किया जावें।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 12 फरवरी, 2019

<u>राजस्थान विधान सभा</u>

<u>प्रथम सत्र</u>

<u>अनुपूरक कार्य-सूची</u>

<u>बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019</u>

1. विधायी कार्य

<u>पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक</u>

(I) श्री बुलाकीदास कल्ला, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

2. <u>शासकीय संकल्प</u>

श्री बुलाकीदास कल्ला, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान प्रदेश के अति पिछडे वर्गों अर्थात् बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछडे होने को दृष्टिगत रखते हुए ''राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017'' एवं ''राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019'' को संविधान के अनुच्छेद-31(ख) के अंतर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने एवं संविधान में यथोचित संशोधन के लिए यह सदन भारत सरकार से आग्रह करता है।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 13 फरवरी, 2019

नोट- आईटम संख्या-1 आज की कार्य-सूची के आईटम संख्या – 3 के पश्चात् एवं आईटम संख्या-2 आज की कार्य-सूची के आईटम संख्या –10 के पश्चात् लिया जायेगा ।